भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

.....

**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 150**
(22 नवम्बर, 2011 को उत्तर दिए जाने के लिए)
**मनरेगा कार्यों में अनियमितताएं**

**150. श्री मोती लाल वोराः**
**श्री सत्यव्रत चतुर्वेदीः**

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) के कार्यान्वयन में, विशेष रूप से 22 जिलों में, गंभीर गड़बड़ियों की शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने स्वयं भी इन गड़बड़ियों की जांच कराई है और सही पाया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य सरकार को तत्काल, इस विषय में, ठोस कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा दोषियों को दंडित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या सरकार राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से संतुष्ट हुए बिना भी मनरेगा निधि की अगली किस्त जारी करेगी?

**उत्तर**
**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' )**

(क) : जी, हां ।

(ख) से (घ) : उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन के विषय में शिकायतें प्राप्त होती रही हैं । दिनांक 10 नवम्बर, 2011 तक की स्थिति के अनुसार मंत्रालय को विभिन्न व्यक्तियों और एजेंसियों से प्राप्त 999 शिकायतों में से 419 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है । चूंकि इस अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य सरकार मनरेगा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बनाई गई स्कीम के अनुसार करती है, इसलिए मंत्रालय को प्राप्त सभी शिकायतें कानून के अनुसार जांच सहित उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेज दी जाती हैं । गंभीर प्रकृति की शिकायतों की जांच के लिए मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर के मानीटर भी प्रतिनियुक्त करता है । राष्ट्रीय स्तर के

मानीटरों की रिपोर्टें सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाती हैं । मंत्रालय राज्य सरकारों को इस अधिनियम के अंतर्गत गंभीर शिकायतों की जांच कराने और आवश्यक कार्रवाई करने तथा सरकारी निधियों के दुर्विनियोजन एवं गबन के मामलों में यह सुनिश्चित करने के उनके दायित्व का स्मरण कराता रहा है कि दोषी अधिकारियों के विरूद्ध न केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, बल्कि साथ-ही-साथ संबंधित व्यक्तियों से वह राशि वसूलने के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अनुसार दांडिक अभियोजन कार्यवाही भी शुरू की जाए ।

राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को सूचित किया है कि शिकायतों की जांच की जाती है और दोषियों के विरूद्ध दांडिक कार्रवाई की जाती है । हाल ही में, राज्य सरकार ने आर्थिक अपराध विंग से बलरामपुर, गौंडा और महोबा जिलों में सामग्री की खरीद के विषय में शिकायतों की जांच करने को कहा है । आर्थिक अपराध विंग से चित्रकूट, सुल्तानपुर और मथुरा जिलों में कार्यान्वयन एजेंसी के कामकाज के विषय में शिकायतों की जांच करने को भी कहा गया है । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे शिकायतों का शीघ्र निपटान करने के निरंतर प्रयास कर रहे हैं और यह सुनिश्चित किया गया है कि शिकायत सही पाए जाने के मामलों में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कठोर दांडिक कार्रवाई की जाए । राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सोनभद्र जिले में 99 अधिकारियों और 28 ग्राम प्रधानों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है । ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी नरेगा निधियों के सिलसिलेवार और व्यापक दुरूपयोग का खुलासा करने के लिए अनियमितताओं की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) से कराने के लिए सहमति प्रदान करने का अनुरोध भी राज्य सरकार से किया है।

(ङ) : राज्य सरकार से निरंतर कहा जाता रहा है कि वे महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन में अनियमितताओं में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध ठोस कार्रवाई करें । राज्य को निधियों के केंद्रीय अंश की अगली किस्त जारी करने से पहले राज्य में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन में अनियमितताओं की शिकायतों पर ठोस एवं विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए राज्य के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठकें की गई हैं । ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास लंबित सभी शिकायतों पर संतोषजनक की गई कार्रवाई रिपोर्टें 10.12.2011 तक प्रस्तुत किए जाने की राज्य सरकार की लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त होने पर अगली किस्त जारी की जा रही है ।

*****